

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति महोबा पुलिस द्वारा निरंतर किया जा रहा है जागरूक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 16.08.2024 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमैन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारे में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है।



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 15.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ०नि० सनय कुमार मय हमराह प्रशि०उ०नि० हार्दिक सिंह, का० वीरेश्वर दत्त, का० नितिन कुमार, का० अमर द्विवेदी द्वारा 01 नफर अभियुक्त रीतेश कुमार राजपूत पुत्र राकेश कुमार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मो० ज्येन्द्र नगर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा के कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में 17 अदद क्वार्टर देशी शराब ड्रूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 199/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रीतेश कुमार राजपूत पुत्र राकेश कुमार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी मो० ज्येन्द्र नगर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि सनय कुमार मय
2. प्रशिक्षु उ.नि.हार्दिक सिंह
3. का.वीरेश्वर दत्त
4. का.नितिन कुमार
5. का.अमर द्विवेदी



थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 15.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित टीम के 30नि0 सूर्यभान सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्त अखिलेश कुमार द्विवेदी उर्फ नन्हू पुत्र स्व0 कृष्ण चन्द्र उम्र करीब 56 वर्ष निवासी लौड़ा पहाड़ (मोचीपुरा) कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया से 10 ली0 अवैध कच्ची देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए पचपहरा रोड कस्बा व थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 229/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अखिलेश कुमार द्विवेदी उर्फ नन्हू पुत्र स्व0 कृष्ण चन्द्र उम्र करीब 56 वर्ष नि0 लौड़ा पहाड़ (मोचीपुरा) कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. 30नि0 सूर्यभान सिंह
2. हे0कां0 रामकरन सिंह
3. कां0 अमित कुमार कुशवाहा



थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध रूप से संचालित जुआ/सट्टा की प्रभावी रोकथाम हेतु ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.08.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर ताश के पत्ते से हारजीत की बाजी लगा कर सार्वजनिक स्थान पर रुपये से जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.हेमेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र बृजेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 26 वर्ष 2.कृष्णकान्त अहिरवार पुत्र शिवनारायण उम्र 19 वर्ष 3.प्रवेश कुमार राजपूत पुत्र शिवसहाय राजपूत उम्र 19 वर्ष 4.राजकुमार अहिरवार पुत्र हरजू उम्र 19 वर्ष को ग्राम नैपुरा के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनकी जामा तलाशी से 450/- रुपये, मालफड़ 1000/- रुपये व कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते (कुल 1450) रुपये बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 156/2024 धारा 13 जी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. हेमेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र बृजेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 26 वर्ष निवासी गहरौली थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर
2. कृष्णकान्त अहिरवार पुत्र शिवनारायण उम्र 19 वर्ष निवासी लिंगा थाना राठ जिला हमीरपुर
3. प्रवेश कुमार राजपूत पुत्र शिवसहाय राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी लिंगा थाना राठ जिला हमीरपुर
4. राजकुमार अहिरवार पुत्र हरजू उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम कोटरा थाना महोबकंठ जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार
2. हे0कां0 श्याम किशोर
3. कां0 तेज सिंह
4. कां0 उमाशंकर यादव
5. कां0 श्यामू कुमार



थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध रूप से संचालित जुआ/सट्टा की प्रभावी रोकथाम हेतु ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 15.08.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौंड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर श्री शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 शंकरलाल व उ0नि0 विजय शंकर पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर ताश के पत्ते से हारजीत की बाजी लगा कर सार्वजनिक स्थान पर रुपये से जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. अनीश पुत्र कल्लू उम्र 32 वर्ष 2. अज्जू पुत्र सत्तार उम्र 20 वर्ष 3. दिलबहार पुत्र कल्लू उम्र 20 वर्ष 4. अली पुत्र अल्लादीन उम्र 27 वर्ष को बेलाताल रोड मु0 दाऊपुरा कस्बा श्रीनगर के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनकी जामा तलाशी से 560 रुपये, मालफड 1800 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर पर मु0अ0सं0 173/24 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अनीश पुत्र कल्लू उम्र 32 वर्ष निवासी मु0बेलाताल तिगैला कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. अज्जू पुत्र सत्तार उम्र 20 वर्ष नि.मु.देवबाग कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा
3. दिलबहार पुत्र कल्लू उम्र 20 वर्ष नि.मु.दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा
4. अली पुत्र अल्लादीन उम्र 27 वर्ष नि.मु.दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शंकरलाल
2. उ0नि0 विजय शंकर पाण्डेय
3. हे0का0 सुनील कुमार पटेल
4. का0 हरिओम यादव



थाना श्रीनगर व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व श्री रविकान्त गौड़, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर श्री शिवपाल सिंह व आबकारी निरीक्षक कनीज फतिमा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अवैध शराब के साथ 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. मुस्कान पत्नी अक्षय कबूतरा उम्र 28 वर्ष 2. अनसुईया पत्नी नरेन्द्र कबूतरा उम्र 27 वर्ष 3. अली पुत्र अल्लादीन उम्र 27 वर्ष के कब्जे से क्रमशः 14 लीटर व 13 लीटर तथा 25 क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना श्रीनगर में क्रमशः मु.अ.स. 171/24, 172/24 व मु.अ.स. 174/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मुस्कान पत्नी अक्षय कबूतरा उम्र 28 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा सेलामाफ वहद ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. अनसुईया पत्नी नरेन्द्र कबूतरा उम्र 27 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा सेलामाफ वहद ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा
3. अली पुत्र अल्लादीन उम्र 27 वर्ष नि.मु.दाऊपुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

1. आबकारी निरीक्षक कनीज फातिमा
2. उ.नि. शंकरलाल
3. उ0नि0 विजय शंकर पाण्डेय
4. हे0का0 सुनील कुमार पटेल
5. का0 अमित सिंह
6. का0 मुईनुद्दीन फारुकी
7. का0 आशिक अली
8. का0 हरिओम यादव



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी श्री मनीष कुमार पाण्डेय के द्वारा गठित टीम के उ0नि0 ओम प्रकाश मिश्र व उ0नि0 अंकित सिंह चौहान द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 192/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्त 1. महेन्द्र पुत्र प्रकाश राजपूत उम्र 20 वर्ष 2. मजीद पुत्र कल्लू उम्र 22 वर्ष को जमाला रोड से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की गयी एक अदद मोटर साइकिल नं0 यूपी 95 एच 5896 सहित 02 अदद अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/2024 व मु0अ0सं0 194/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. महेन्द्र पुत्र प्रकाश राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. मजीद पुत्र कल्लू उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ।

बरामदगी-

1. एक अदद मोटर साइकिल नं0 यूपी 95 एच 5896 सम्बन्धित मु0अ0सं0 192/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस ।
2. दो अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ओम प्रकाश मिश्र
2. उ0नि0 अंकित सिंह चौहान
3. का0 देवेन्द्र राजपूत
4. का0 मिथुन कुमार

